प्रेस विज्ञप्ति
12.05.2026

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), चंडीगढ़ आंचलिक कार्यालय ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के पूर्व कर्मचारियों रिभव ऋषि और अभय कुमार को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत चल रही जांच के सिलसिले में 11.05.2026 को गिरफ्तार किया है।

अब तक की जाँच से पता चला है कि हरियाणा सरकार, चंडीगढ़ यू.टी. प्रशासन और चंडीगढ़ और पंचकुला स्थित दो निजी स्कूलों के बैंक खातों से आई.डी.एफ.सी. फर्स्ट बैंक में 645 करोड़ रुपये की सार्वजनिक धनराशि का गबन किया गया है। रिभव ऋषि ने अपने निजी सहायक और ड्राइवर के नाम पर मेसर्स कैपको फिनटेक सर्विसेज और मेसर्स आर एस ट्रेडर नामक मुखौटा कंपनियां बनाईं। इसी तरह, अभय कुमार ने अपनी पत्नी और बहनोई के नाम पर मेसर्स स्वस्तिक देश प्रोजेक्ट्स नामक मुखौटा कंपनी बनाई। इन मुखौटा कंपनियों को सरकारी विभाग के विभिन्न खातों से सीधे करोड़ों रुपये की धनराशि मिली और उसके बाद ऐसी धनराशि को और परतदार बनाकर निकाल लिया गया। धन के पूरे मार्ग का पता लगाने और अन्य लाभार्थियों और वहां से अर्जित संपत्तियों की पहचान करने के प्रयास जारी हैं।

रिभव ऋषि और अभय कुमार दोनों को 11.05.2026 को पीएमएलए, 2002 की धारा 19 के तहत गिरफ्तार करने के बाद माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए) ने दोनों आरोपियों को 21.05.2026 तक 10 दिनों की ईडी हिरासत प्रदान की है।

आगे की जाँच जारी है।